

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प
 गंगारि का गौडा

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी गोदाप का गौडा व भू.अ.नि. का गौडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार 267/नाथय तहसीलदार का गौडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार ग्राम आडीबाकर तहसील, गंगारि जिला की जमाबन्दी सम्वत् 2025-28 में खाता संख्या 274,343 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	आडीबाकर	274,343	गौडा पुत्र शेख रवत	गंगारि पुत्र शेख रवत

(fhr)
 सहायक कलक्टर
 उपखण्ड अधिकारी भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहा. कलक्टर,
 जिला-राजसमन्द

कनांक - 125/253

दिनांक :- 10/10/2025

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार भीम को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री गंगारि पुत्र शेख रवत को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(fhr)
 सहायक कलक्टर
 उपखण्ड अधिकारी भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
 जिला-राजसमन्द